पंचायत शाखा
एन.ओ.सी. संबंधित
25

कार्यालय जिला कलक्टर, पाली
Rev 598 9/5/22

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.139 (22)मार्गदर्शन/पाली/विधि/पपं/2022/ 413 जयपुर,दिनांकः– 13/4/22

जिला कलक्टर,
पाली।

विषयः–ग्राम पंचायत रायपुर, पं.स. रायपुर जिला पाली में तहसीलदार द्वारा खातेदारी भूमि का आवासीय संपरिवर्तन (कृषि भूमि से अकृषि) के पश्चात् उस भूमि के पंचायत क्षेत्र के क्षैत्राधिकार में आने या नहीं आने के संबंध में मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश प्रदान करने बाबत्।
प्रसंगः–आपका कार्यालय पत्रांक 359 दिनांक 16.06.2021।

855
4/5/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम मे निवेदन है कि कृषि भूमि का आवासीय संपरिवर्तन करने के पश्चात वह भूमि संबंधित खातेदार/अन्तरिती के नाम पर ही दर्ज रहती है, इसलिए वह ग्राम पंचायत की आबादी में नही मानी जा सकती है। ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने या अन्य कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता नही है। ऐसी भूमि पर विकास कार्य संपरिवर्तन आदेश के अनुसार ही करवाये जा सकते हैं।

भवदीय,

13/4/22

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

611
13/5/22

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक एफ. 12(3)( )राज./22/ 2896 2925 दिनांक : 10/5/22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. उपखण्ड अधिकारी, ... (समस्त) जिला पाली
2. तहसीलदार,/BDO........................(समस्त) जिला पाली
3. ....

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांकःएफ.139 ( )परावि/विधि/कृषि भू.पट्टा/अलवर/2016/368 जयपुर,दिनांक 02.6.16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अलवर

विषयः— ग्राम पंचायत धमरेड (पं0स0 राजगढ) की आराजी खसरा संख्या 683 की कृषि खातेदारी जमीन का पट्टा जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत् ।

संदर्भः— आपका पत्र कमांक 6502—06 दिनांक 01.01.2016 के कम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण के कम में लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 में ग्राम पंचायतों को पंचायत क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि का ही पट्टा दिये जाने के प्रावधान हैं । निजी खातेदारो में परिवर्तित आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने के प्रावधान नही हैं । ऐसे प्रकरणों में राजस्व विभाग द्वारा ही कार्यवाही की जाती हैं ।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)